



जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार



**बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार**

विद्युत भवन - 2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाष: +91-612-250 4980, फ़ैक्स: +91-612-250 4960, वेबसाइट: www.brllps.in

Ref.No.- BRLPS/Acctts/284/12/2562

दिनांक:- 04/12/2020

कार्यालय आदेश

NRETP-CAP Fund निर्गत हेतु दिशा-निर्देश।

कोविड-19, महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक गतिविधि में कमी के प्रभाव को स्वयं सहायता समूह के स्तर पर कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत-सरकार द्वारा NRETP-Covid Assitance Package Fund (NRETP-CAP Fund) निर्गत करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

प्राप्त आदेश के आलोक में यह निदेशित किया जाता है कि NRETP अन्तर्गत क्रियान्वित सभी प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई (BPIU) के तहत निर्मित प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों को ₹5,000/- (पाँच हजार मात्र) का भुगतान किया जाय। इस राशि का हस्तांतरण संबंधित DPCU के द्वारा 15 दिसम्बर 2020 से पूर्व करना सुनिश्चित किया जाय।

यह राशि ICF निर्गत करने हेतु निर्धारित मांप-दंडों को पुरा करते हुए NRETP के अंतर्गत सभी ग्राम संगठनों को हस्तांतरित की जाएगी एवं ग्राम संगठनों के द्वारा इस राशि को संबंधित समूहों के बीच 15 जनवरी 2021 से पूर्व हस्तांतरित कर इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना होगा।

विदित हो कि CAP Fund हस्तांतरित होने के समय इस राशि को व्यय के रूप में लेखांकन व्यय शीर्ष (B.3.1.1 "Capitalization Support For SHGs/VOs/CLFs) के तहत की जाय तथा हस्तांतरण के उपरांत दो माह के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(बालामुरुगन डी.)

मुख्य कार्यपालक

पदाधिकारी सह मिशन निदेशक।

➤ **प्रतिलिपि :**

- All DPMs/FMs
- All PCs/SPMs/SFMs/AFMs/PMs/PO
- OSD/Director/CFO/AO/PS
- IT Section & Concerned File.